

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 03.11.2024\***

**\*दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पुत्र रमेश सिंह साकिन गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-** उ0नि0 श्री वीरेन्द्र मिश्र, हे0का0 जुबेर अली, का0 अमरजीत यादव।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार\***

- \*थाना दुधारा पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- \*थाना धनघटा पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- \*थाना मेहदावल पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 115 वाहनों से 1,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***  
आज दिनांक 03.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 115 वाहनों से 1,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

**\*थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री अजीत चौहान\*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **\*श्री सतीश कुमार सिंह\*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 811/2024 धारा 137(2), 87, 61(1) बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता रविप्रकाश पुत्र प्रहलाद निवासी सरैया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 03.11.2024 को उसके अचकवापुर काली मंदिर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 23.10.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** उ0नि0 श्री राजु सिंह, हे0का0 सम्पूर्णानंद, का0 विनय कुमार यादव, का0 अनिल प्रसाद।

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री अजीत चौहान\*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली **\*श्री सतीश कुमार सिंह\*** द्वारा गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 519/2024 धारा 406/419/420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त आफताब खान पुत्र रफीकुल्लाह निवासी अमिलहा थाना कलवारी जनपद बस्ती को मेहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम\***

व0उ0नि0 राजेश कुमार दुबे, का0 रंजन राजभर, का0 आदित्य सिंह, म0का0 अर्चना यादव, म0का0 मनिषा यादव।